रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एन.-अ.-05082026-275225
CG-MN-E-05082026-275225

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948
No. 460] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

अधिसूचना

इम्फाल, 24 नवंबर, 2025

F. संख्या NSU/Statutes/2022-23.— राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 की धारा 25(2) एवं धारा 42(3) के साथ पठित विश्वविद्यालय के विनियमों की धारा 17(2) में निम्नलिखित संशोधन, जैसा कि कार्यकारी परिषद की 7 फरवरी 2023 को आयोजित बैठक में मद संख्या 4: EC: 2023/7/04 के तहत अनुमोदित किया गया था, और केंद्रीय सरकार के खेल विभाग (क्षमता निर्माण), युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा F. संख्या 22-02/2021SP-VI के तहत दिनांक 14 अगस्त 2025 को अनुमोदित किया गया था, को सामान्य सूचना के लिए यहाँ प्रकाशित किया जाता है।

विश्वविद्यालय के विनियमों में पहला संशोधन

1. ये संशोधन राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 के साथ संलग्न विश्वविद्यालय के विनियमों में पहला संशोधन कहलाएंगे।
2. ये पूर्वव्यापी रूप से दिनांक 24 नवंबर 2020, जोकि कार्यकारी परिषद की बैठक की तारीख है जिसमें संशोधनों पर विचार किया गया था और स्वीकृत किया गया था, को प्रभाव में आएंगे।

3. नीचे दी गई तालिका, विश्वविद्यालय के विनियमों की धारा 17(2) और उसके नीचे दी गयी टिप्पणियां को संशोधित और निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

तालिका

1	2
प्रोफेसर	(i) स्कूल का अधिष्ठाता। (ii) विभागाध्यक्ष (यदि वह प्रोफेसर है)। (iii) विश्वविद्यालय की सेवा में न होने वाले तीन व्यक्ति, जिन्हें शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से उप-कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, जिनके पास उस विषय का विशेष ज्ञान या रुचि है जिससे प्रोफेसर संबंधित होंगे। (iv) एक शिक्षाविद् जोकि अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/दिव्यांगजन श्रेणी से है, यदि किसी उम्मीदवार का संबंध उपलिखित श्रेणी से है, यदि चयन समिति के किसी सदस्य का उस श्रेणी से संबंध नहीं है, को उप-कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
सह प्रोफेसर /सहायक प्रोफेसर	(i) विभागाध्यक्ष। (ii) उप-कुलपति द्वारा नामित एक प्रोफेसर। (iii) विश्वविद्यालय की सेवा में न होने वाले दो व्यक्ति, जिन्हें शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से उप-कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, जिनके पास उस विषय का विशेष ज्ञान या रुचि है जिससे सह प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर संबंधित होंगे। (iv) एक शिक्षाविद् जोकि अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/दिव्यांगजन श्रेणी से है, यदि किसी उम्मीदवार का संबंध उपलिखित श्रेणी से है, यदि चयन समिति के किसी सदस्य का उस श्रेणी से संबंध नहीं है, को उप-कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
कुलसचिव /वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक	(i) कार्यकारी परिषद के दो सदस्य, जो कार्यकारी परिषद द्वारा नामित हों। (ii) विश्वविद्यालय की सेवा में न होने वाला एक व्यक्ति, जिसे कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा। (iii) एक प्रतिनिधि, जोकि अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/दिव्यांगजन श्रेणी से है, यदि किसी उम्मीदवार का संबंध उपलिखित श्रेणी से है, यदि चयन समिति के किसी सदस्य का उस श्रेणी से संबंध नहीं है, को उप-कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष	(i)	कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, जिसे पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय प्रशासन का विशेष ज्ञान है।
	(ii)	कार्यकारी परिषद द्वारा नामित, विश्वविद्यालय की सेवा में न होने वाला एक व्यक्ति।
	(iii)	एक प्रतिनिधि, जोकि अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/दिव्यांगजन श्रेणी से है, यदि किसी उम्मीदवार का संबंध उपलिखित श्रेणी से है, यदि चयन समिति के किसी सदस्य का उस श्रेणी से संबंध नहीं है, को उप-कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महाविद्यालय या संस्थान के प्राचार्य	(i)	उप-कुलपति द्वारा नामित, विश्वविद्यालय की सेवा में न होने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से दो कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से और एक शैक्षणिक और गतिविधि परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से हो, जिन्हें उस विषय का विशेष ज्ञान या रुचि है जिसमें महाविद्यालय या संस्थान द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है।
	(ii)	एक प्रतिनिधि, जोकि अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/दिव्यांगजन श्रेणी से है, यदि किसी उम्मीदवार का संबंध उपलिखित श्रेणी से है।
	(iii)	यदि चयन समिति के किसी सदस्य का उस श्रेणी से संबंध नहीं है, को उप-कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।

टिप्पणी 1: जहाँ अंतःविषयक परियोजना के लिए नियुक्ति की जा रही है, उस परियोजना के प्रमुख को संबंधित विभागाध्यक्ष माना जाएगा।

टिप्पणी 2: उप-कुलपति द्वारा नामित प्रोफेसर उस विशेषता से संबंधित एक प्रोफेसर होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है, और उप-कुलपति प्रोफेसर को नामित करने से पहले विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता से परामर्श लेंगे।

डॉ. एल. दिबामणि सिंह, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./229/2026-27]

NATIONAL SPORTS UNIVERSITY

NOTIFICATION

Imphal, the 24th November, 2026

F. No. NSU/Statutes/2022-23.— In pursuance of the provisions made in Section 25(2) read with Section 42(3) of the National Sports University Act 2018, the following amendment to Clause 17(2) of the Statutes of the University, as approved by the Executive Council in its meeting held on 7th February 2023, vide Item No. 4: EC: 2023/7/04 and as approved by the Central Government, vide letter F. No. 22-02/2021SP-VI of Department of Sports (Capacity Building), Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, dated 14th August 2025 is hereby published for general information.

FIRST AMENDMENT TO THE STATUTES OF THE UNIVERSITY

1. These Amendments may be called the First Amendment to the Statutes of the University attached as the Schedule to the National Sports University Act 2018.
2. These will come into effect retrospectively, i.e., 24th November 2020 - the date of the meeting of the Executive Council in which the amendments were initially considered and approved.
3. The TABLE, below Clause 17(2) of the Statutes of the University, along with the notes thereunder, shall stand amended and substituted as below:

TABLE

1	2
Professor	(i) The Dean of the School. (ii) The Head of the Department, if he is a Professor. (iii) Three persons not in the service of the University, nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel of names approved by the Executive Council on the recommendation of the Academic and Activity Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Professor will be concerned. (iv) An academician belonging to the SC/ST/OBC/ Minority / Women /PwD category, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor if any of the members of the selection committee does not belong to that category.
Associate Professor/ Assistant Professor	(i) The head of the Department. (ii) One Professor nominated by the Vice-Chancellor. (iii) Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, out of a panel of names approved by the Executive Council on the recommendation of the Academic and Activity Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Associate Professor or Assistant Professor will be concerned. (iv) An academician belonging to the SC/ST/OBC/ Minority / Women /PwD category, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor if any of the members of the selection committee does not belong to that category.
Registrar/ Finance Officer/ Controller of Examination.	(i) Two members of the Executive Council nominated by it. (ii) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council. (iii) A representative belonging to the SC/ST/OBC/Minority/ Women/PWD category, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor if any of the members of the selection committee does not belong to that category.
Librarian	(i) One person not in the service of the University who has special knowledge of the subject of the Library Science or Library Administration nominated by the Executive Council. (ii) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council. (iii) A representative belonging to the SC/ST/OBC/Minority/ Women /PwD category, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor if any of the members of the selection committee does not belong to that category.
Principal of College or Institution maintained by the University.	(i) Three persons not in the service of the University to be nominated by the Vice-Chancellor, of whom two out of the panel of names approved by the Executive Council and one out of the panel of names approved by the Academic and Activity Council, for their special knowledge of, or interest in, a subject in which instruction is

being provided by the College or Institution.

(ii) A representative belonging to the SC/ST/OBC/Minority/Women /PwD category, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor if any of the members of the Selection Committee does not belong to that category.

Note 1: Where the appointment is being made for an inter-disciplinary project, the head of the project shall be deemed to be the Head of the Department concerned.

Note 2: The Professor to be nominated by the Vice-Chancellor shall be a Professor concerned with the specialty for which the selection is being made, and the Vice-Chancellor shall consult the Head of the Department and the Dean of the School before nominating the Professor.

Dr. L. DIBAMANI SINGH, Registrar
[ADVT.-III/4/Exty./229/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA